



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2018/ज्येष्ठ 25, 1940

No. 411]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2018/JYAISTHA 25, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2018

सा.का.नि. 566(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2018 कहा जा सकेगा।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची II में, -

(क) तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित -भाग क में, प्रथम कॉलम में आने वाली "महाराष्ट्र" प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"महाराष्ट्र"

सरकार के मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
सरकार के अपर मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
सरकार के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव व विशेष जांच अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

प्रधान सचिव एवं मुख्य नयाचार अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव व मुख्य निर्वाचन अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव सह आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रमुख सचिव सह आयुक्त (उपाध्यक्ष व सीईओ- एमएचएडीए)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव सह आयुक्त (डीजी-वाईएसएचएडीए)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मंडल आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राज्यपाल के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
बिक्री कर आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
बंदोबस्त आयुक्त और निदेशक, भूमि अभिलेख	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, चीनी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियों के पंजीयक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
विकास आयुक्त, उद्योग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, आबकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्यमंत्री के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
रेजिडेंट कमीश्रर, महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
परिवहन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
डेयरी विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्रशासन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त कर्मचारी राज्य बीमा योजना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
कृषि आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
जनजातीय विकास के आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, रोजगार एवं स्व रोजगार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, लघु बचत एवं राज्य लॉटरी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, पशुपालन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, महिला एवं बाल कल्याण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, श्रम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

आयुक्त, समेकित बाल विकास योजना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक, नगर निगम प्रशासन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव-सह-आयुक्त/अपर आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, शिक्षा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महानिरीक्षक, पंजीयन	स्तर 14 में भुगतान मैट्रिक्स "

(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में महाराष्ट्र के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

"संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव
समाहर्ता
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
विशेष आयुक्त, बिक्री कर
संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर
निदेशक, समाज कल्याण
अपर मंडल आयुक्त
निदेशक, कपड़ा
राशन नियंता
अपर आयुक्त, जनजातीय विकास
आयुक्त, खेल एवं युवा सेवाएं
महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क
आयुक्त, दिव्यांग जन
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग
निदेशक, बीजेएनटी
निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)
निदेशक, पर्यटन
निदेशक, रेशम उद्योग
आयुक्त, परिवार कल्याण एवं निदेशक, एनएचएम
आयुक्त-मत्स्य पालन

निदेशक-सह-आयुक्त (नगरपालिका आयुक्त) पिंपरी-चिचवा, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज कुपवाड, औरंगाबाद, अमरावती, अकोला, नांदेड-वाघाला शहर, मीरा-भाईंदर, वसई-विराट, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपुर, कल्याण-डोम्बीवली, मालेगाव, पनवेल
निदेशक, 'वानामती'
महानिदेशक 'मेदा'
निदेशक, आपदा प्रबंधन"

[फा. सं. 22012/10/2015- अ.भा.से.-II (ख)]

ज्योत्स्ना गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम, तारीख 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि.सं. 870 (अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या तथा तारीख को संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	1062 (अ)	10.11.2016
2.	1178(अ)	27.12.2016
3.	1194(अ)	30.12.2016
4.	575(अ)	12.06.2017
5.	1382(अ)	10.11.2017
6.	1429(अ)	17.11.2017
7.	1585(अ)	22.12.2017

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, 15th June, 2018

G.S.R. 566(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Maharashtra** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely: —

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—
 - (a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “Maharashtra” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

“Maharashtra

Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix
Additional Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix
Principal Secretary to Government	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary & Special Inquiry Officer	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary & Chief Protocol Officer	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary & Chief Electoral Officer	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary cum Commissioner	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary cum Commissioner (VP & CEO-MHADA)	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary cum Commissioner (DG-YASHADA)	Level 15 in the pay matrix
Divisional Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Governor	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Sales Tax	Level 14 in the pay matrix
Settlement Commissioner and Director, Land Records	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Sugar	Level 14 in the pay matrix
Commissioner for Co-operation & Registrar of Co-operative Societies	Level 14 in the pay matrix
Development Commissioner, Industries	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Excise	Level 14 in the pay matrix
Secretary to the Chief Minister	Level 14 in the pay matrix
Resident Commissioner, Maharashtra Sadan, New Delhi	Level 14 in the pay matrix
Transport Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Dairy Development Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Food & Drugs Administration	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Employee State Insurance Scheme	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Agriculture	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Tribal Development	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Employment & Self Employment	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Small Savings & State Lotteries	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Animal Husbandry	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Women & Child Welfare	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Labour	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Integrated Child Development Scheme	Level 14 in the pay matrix
Director, Municipal Administration	Level 14 in the pay matrix

Secretary-Cum-Commissioner/Addl. Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Education	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Registration	Level 14 in the pay matrix”

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Maharashtra the following shall be substituted,—

“Joint Secretary/Addl. Secretary/Special Secretary
Collector
Chief Executive Officer, Zilla Parishad
Special Commissioner of Sales Tax
Joint Commissioner of Sales Tax
Director of Social Welfare
Additional Divisional Commissioner
Director, Textiles
Controller of Rationing
Additional Commissioner, Tribal Development
Commissioner, Sports & Youth Services
Director General, Information & Public Relation
Commissioner persons with Physical Disabilities
Secretary, State Election Commission
Director, VJNT
Director, IT
Director, Tourism
Director, Sericulture
Commr-Family Welfare & Dir. NHM
Commissioner-Fisheries
Director-Cum-Commissioner (Municipal Commissioner) Pimpri-Chinchwa, Kolhapur, Solapur, Sangli-Miraj Kupwad, Aurangabad, Amaravati, Akola, Nanded-Waghala City, Meera-Bhayander, Vasai-Virara, Ulhasnagar, Bhiwandi-Nijampur, Kalyan-Dombivali, Malegaon, Panvel
Director, VANAMATI
Director General MEDA
Director, Disaster Management”

[F. No. 22012/10/2015-AIS-II(B)]

JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 870(E) dated the 08th September, 2016 and subsequently amended by the following G.S.R. No. and date:—

Sl.No.	G.S.R. No.	Date
1.	1062(E)	10.11.2016
2.	1178(E)	27.12.2016
3.	1194(E)	30.12.2016
4.	575(E)	12.06.2017
5.	1382(E)	10.11.2017
6.	1429(E)	17.11.2017
7.	1585(E)	22.12.2017